ग्राम पंचायत काहनपट्ट, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत काहनपट्ट, विकास खण्ड सुलह (भेडू महोदव), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत काहनपट्ट में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अनिल कुमार	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती रितू देवी	23.1.16 से 31.3.17

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रवीन कटोच	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमिततओं का सारः–

ग्राम पंचायत काहनपट्ट के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखो में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर पाया जाना	4.05
2	5.1	अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	4.41
3	6	ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.16
4	10	अनुदान राशि का अवरोधन	10.08
5	11	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	2.75
6	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये बिना व्यय करना	7.47
7	14	मजदूरों को भुगतान की गई मजदूरी की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें प्रस्तुत न करना	2.20
8	16	खेल सामग्री के क्रय में पाई गई विविध अनियमितताएं	0.47

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत काहनपट्ट, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15.9.2017 से 20.9.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014–15	3/2015	2/2015
2015–16	3/2016	7/2015
2016–17	6/2016	9/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत काहनपट्ट, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 012/2017 दिनांक 20.9.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत काहनपट्ट से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत काहनपट्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(क) स्वः स्त्रोत एवं अनुदानः—

ग्राम पंचायत काहनपट्ट के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 स्वः स्त्रोतों (विविध) एवं अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

		प्राप्ति			व्यय		अन्तिम शेष
वर्ष	**अथशेष**	**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**	**योग**	**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**	
2014—15	348955.49	49559	738519	1137033.49	13760	516156.50	607116.99
2015—16	607116.99	26867	699438	1333421.99	29438	952707.50	351276.49
2016—17	351276.49	44536	316583	712395.49	40130	155402.00	516863.49

नोटः— वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण "परिशिष्ट—1" में दिया गया है।

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही	₹516863.49
हस्तगत राशि	**₹146.99**
कुल	**₹517010.48**

(ख) दिनांक 31.3.2017 को बैंकों का अन्तशेष निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	**बैंक**	**खाता सं0**	**दिनांक 1.4.14 को अथशेष**	**दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष**
1	हिमाचल ग्रामीण बैंक धीरा	87720100033544	145808	212084
2	हिमाचल ग्रामीण बैंक धीरा	87720100084274	43898	896
3	केन्द्रीय कांगड़ा सहकारी बैंक धीरा	50054658250	199	223
4	केन्द्रीय कांगड़ा सहकारी बैंक धीरा	20049015310	158700.50	708484.50
	कुल योग		**₹348605.50**	**₹921687.50**
	अन्तर (ख–क)	**₹404677.02**		

5 रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹4.05 लाख का अन्तर :–

ग्राम पंचायत काहनपट्ट के स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही और बैंक खातों में ₹404677 का अन्तर पाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था।

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों से बैंक खातों का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान ₹4.41 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत काहनपट्ट द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों की प्राप्ति सम्बन्धित बैंक खातों एवं रोकड़ बहियों में प्रविष्टि की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹441481 के विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों को सम्बन्धित रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करने के कारण एक ओर जहां पंचायत की सही वित्तीय स्थिति

परिलक्षित नहीं होती है तो वहीं दूसरी ओर उक्त प्राप्त अनुदान राशियों से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों से पंचायत के लोगों को भी वंचित होना पड़ा, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए इन समस्त अनुदान राशियों को अविलम्ब पंचायत की रोकड़ बही में दर्ज किया जाए तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	बैंक में जमा की दिनांक	राशि
1	हिमाचल ग्रामीण बैंक धीरा	87720100033544	4.4.16	114443
2	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक धीरा	20049015310	17.4.14	9750
			5.5.14	8915
			27.6.14	888
			27.11.14	8910
			3.3.15	12000
			27.10.16	4891
			29.11.16	9612
			13.12.16	29250
			23.12.16	53085
			13.1.17	168124
			18.1.17	21613
			कुल	**₹441481**

6 ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न खाते में ब्याज ₹0.16 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न बचत खातों में प्राप्त जमा ब्याज की राशियों की प्रविष्टियों की जाँच सम्बन्धित रोकड़ बही में करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार ₹15658 के ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। जिस कारण

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही पंचायत की सही एवं वास्तविक वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करती है।

क्र0सं0	**बैंक का विवरण**	**खाता संख्या**	**वर्ष**	**दिनांक**	**₹**
1	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक	50054658250	2016–17	31.8.17	4
	धीरा		2016–17	28.2.17	4
2	हिमाचल ग्रामीण बैंक धीरा	87720100084274	2016–17	2.12.16	8
			2016–17	6.3.17	9
3	हिमाचल ग्रामीण बैंक धीरा	87720100033544	2016–17	2.12.16	1980
			2016–17	6.3.17	2162
4	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक	20049015310	2016–17	28.2.17	11491
				कुल योग	**₹15658**

अतः उपरोक्त वर्णित प्राप्त ब्याज की समस्त राशियों को अविलम्ब पंचायत की सम्बन्धित रोकड़ बही में दर्ज करने के अतिरिक्त भविष्य में प्राप्त ब्याज की राशियों को यथा समय रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष न अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है और न ही पंचायत की आय प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोकड़ बही में दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने के उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त शेष राशि की प्रविष्टियों को आगामी कार्य दिवस/पृष्ठ में अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है। किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखांकन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का रख

रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाए जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु 01.04.2014 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–2015 का अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत को अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा के पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार पंचायत द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बजट प्रपत्र तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने/निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व :–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व मात्र ₹46 की वसूली शेष थीः–

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	3846	7350	11196	5020	6176
2015–16	6176	9800	15976	9380	6596
2016–17	6596	10100	16696	16650	46

10 अनुदान ₹10.08 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹1007716 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पचांयत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर के उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

11 प्राप्त अनुदानों से ₹2.75 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत काहनट्ट द्वारा अनुदान राशियों से सम्बन्धित प्राप्त सूचना के अनुसार पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक ₹274530 विभिन्न स्त्रोतों में जिसका सम्पूर्ण विवरण **"परिशिष्ट–3"** में दिया गया है, प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय किया गया है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों के साथ संलग्न/वर्णित शर्त अनुसार व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक सीमित किया जाना अपेक्षित होता है एवं सम्बन्धित मद में प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि को प्राप्त अनुदान तक सीमित न किया जाना अनियति व आपत्तिजनक है जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित संस्था से उठाकर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹7.47 लाख का अनियमित व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। परन्तु निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "4"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों में ₹747361 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किया बिना ही किया गया था जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित और आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों में किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोतों से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.17 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹116847 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 मजदूरों को मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान ₹2.20 लाख की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के सन्दर्भ मेंः–

ग्राम पंचायत काहनपट्ट द्वारा मनरेगा से ₹219652 का भुगतान मजदरों को मजदूरी के रूप में निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में किया गया दर्शाया गया हैः–

क्र0 सं0	वर्ष	वा0 क्रमांक	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)	माप पुस्तिका	पृष्ठ	कार्य का नाम
1	2014—15	40, 41	19.2.15	1495, 1496	18.12.14 से 31.12.14	21868	6734	5	निर्माण भूमि सुधार राजीव गाँधी केन्द्र
2	2014—15	46, 47	19.2.15	1656, 1657	17.1.15 से 31.1.15	27412	6734	10	—यथोपरि—
3	2015—16	27, 28	19.7.15	850, 851	16.6.15 से 30.6.15	17496	6734	30	—यथोपरि—
4	2015—16	36, 37	22.7.15	1168, 1169	1.7.15 से 15.7.15	24462	6734	36	—यथोपरि—
5	2016—17	12	20.9.16	966	16.8.16 से 31.8.16	10200	9017	33—34	भूमि सुधार सुरेश कुमार, देश राज की जमीन पर
6	2016—17	13	20.9.16	1013		19380			
7	2016—17	14	20.9.16	1014		17000			
8	2016—17	15	20.9.16	1015	16.8.16 से 31.8.16	19550	9017	31, 32	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, काहनपट्ट
9	2016—17	16	20.9.16	1016		2210			
10	2016—17	17	29.9.16	1207	1.9.16 से 15.9.16	20230	9017	85	(यथोपरि कार्य)
11	2016—17	18	29.9.16	1208		16320			
12	2016—17	19, 19／1	29.9.16	1209, 1210	1.9.16 से 15.9.16	4484	9017	83	निर्माण RWH टैंक फुमण राम
13	2016—17	20, 21	29.9.16	1354, 1355	1.9.16 से 15.9.16	19040	9017	84	क्रेट वर्क सुरजीत सिंह की जमीन पर
					योग	**₹219652**			

ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरी के रूप में किये गये उपरोक्त भुगतान वर्णित मस्ट्रोलों के माध्यम से किया गया दर्शाया गया है, किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें, जिनमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की कार्य प्रगति दर्ज है, जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में इस बात की जाँच／पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि मजदूरों द्वारा किये गये कार्य हेतु उतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं?

क्योंकि मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति अनुसार ही उन्हें मजदूरी दी जानी अपेक्षित थी। अतः मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच/पुष्टि हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच अंकेक्षण में की जा सके।

15 पंचायत द्वारा किये गये ₹1.05 लाख के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के सन्दर्भ में:—

ग्राम पंचायत काहनपट्ट द्वारा ₹104686 का भुगतान स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान रोकड़ बही से अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरण अनुसार किया गया हैः—

क्र0सं0	वर्ष	वा0 क्रमांक	दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनांक	राशि	कार्य का नाम
1	2015—16	22	4.7.15	मै0 प्रीतम चन्द गाँव दरीण डाकघर बगवाड	194	15.6.15	70000	निर्माण रास्ता लिंक रोड मुख्य सडक से रगेहड
2	2015—16	24	7.7.15	मै0 अम्बे हार्डवेयर, 61 मीट नगरोटा	187	29.6.15	26346	निर्माण महिला मण्डल भवन सिममबल लाहडू
3	2015—16	25	7.7.15	हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम धीरा	0073311	29.6.15	8340	—यथोपरि—
						योग	**₹104686**	

उपरोक्त भुगतान की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(i) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित क्रम संख्या 1 व 2 के वाउचरों द्वारा किये गये भुगतान में नियमानुसार अपनाई जाने वाली क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। क्रम संख्या 1 द्वारा वर्णित भुगतान हेतु पंचायत द्वारा केवल दो निविदायें ही प्राप्त की गई है एवं क्रम संख्या 2 द्वारा वर्णित क्रय बिना निविदाओं के किया गया है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है क्योंकि नियमानुसार कम से कम तीन निविदायें प्राप्त की जानी अपेक्षित थी ताकि न्यूनतम बाजारी दरों पर प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर क्रय किया जाता। अतः बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ

न उठाने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उक्त क्रय/भुगतान की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर उक्त भुगतान को नियमित करवाया जाए।

(ii) क्रम संख्या 1 द्वारा किया गया भुगतान पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य लिंक रोड मुख्य सड़क से रगेहड तक सड़क निर्माण हेतु जे0सी0बी0 द्वारा किये गये पचास घण्टे के कार्य हेतु किया गया दर्शाया गया है, किन्तु उक्त किये गये कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही उक्त वर्णित निर्माण कार्य के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिसके अभाव में इस बात की जाँच नहीं की जा सकी कि यह कार्य वास्तव में किये गये है अथवा नहीं? अतः इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका, प्राक्कलन आदि से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

(iii) क्रम संख्या 2 व 3 द्वारा किये गये भुगतान/क्रम से सम्बन्धित न तो स्टॉक प्रविष्टियाँ की गई है एवं न ही उक्त भुगतान बिलों द्वारा क्रय सामग्री के आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिस कारण क्रय सामग्री की सत्यता संदेहास्पद है। अतः इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर पूर्ण जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाये जाने के अतिरिक्त इससे सम्बन्धित स्टॉक प्रविष्टियाँ व आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

16 ₹0.47 लाख का व्यय कर क्रय खेल सामग्री में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही में वर्ष 2014–15 में वाउचर संख्या 46 दिनांक 18.2.2015 द्वारा ₹46500 का व्यय विभिन्न खेल सामग्री हेतु मै0 शिवा ट्रेडर्ज, सरलोग, जिला हमीरपुर से उनके बिल संख्या 004 दिनांक 4.1.2015 द्वारा किया गया है। उक्त क्रय/भुगतान बिल की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(i) ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित क्रय की गई खेल सामग्री निविदाओं के आधार पर उक्त फर्म से क्रय की गई है, जबकि अनुदान पत्र की शर्त अनुसार यह खेल सामग्री भण्डार नियन्त्रक (Controller of stores) द्वारा अनुमोदित फर्म से क्रय न करना अनियमित व आपत्तिजनक है जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अनुदान प्रदाता से इस बारे में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इसे नियमित करवाया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त क्रय खेल सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज करने उपरान्त इसे प्रधान, उप प्रधान एवं वार्ड सदस्यों/पंचायत सदस्यों को वितरित किया गया दर्शाकर इसे भण्डार रजिस्टर से खारिज कर दिया गया है, जबकि अनुदान पत्र की शर्त अनुसार यह खेल सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत युवक मण्डलों को जारी की जानी अपेक्षित थी। अतः अनुदान पत्र की शर्त अनुसार खेल सामग्री को पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत युवक मण्डलों को जारी न करके पंचायत प्रतिनिधियों को जारी करना अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इसकी वसूली उन से करने उपरान्त इसे पंजीकृत युवक मण्डलों को जारी किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) पंचायत द्वारा उक्त खेल सामग्री जारी करते समय प्राप्त करने वालों से कोई भी प्राप्ति रसीद अथवा हस्ताक्षर नहीं लिये गये है, जोकि नियमानुसार नहीं है, इस बारे में भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों व अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विनिधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1) 27 (1)
2	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11 व 12	37, 38
6	अनुपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

18 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़बहियों के लेखन एवं प्राप्त अनुदान व ब्याज की समस्त प्रविष्टियों को यथा समय रोकड़बहियों में दर्ज करने के अतिरिक्त रोकड़ बहियों का मासिक व वार्षिक आधार पर बचत खातों के साथ मिलान करके बैंक समाधान विवरणी बनाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 158/2017–खण्ड–1–1785–1788 दिनाँक 12.3.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. **पंजीकृत** सचिव, ग्राम पंचायत काहनपट्ट, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881